

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 2016/श्रावण 17, 1938

No. 552]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 2016/SRAVANA 17, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2016

सं.43/2016-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि.777(अ).—जबकि कि प्राधिकृत प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित दिनांक 22 जुलाई, 2015 की अपनी अधिसूचना सं.15/9/2015-डीजीएडी, के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया (यहां जिन्हें विषयगत देशों के रूप में संदर्भित किया गया है) से मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए "विस्कोस स्टेपल फाइबर बांस फाइबर वर्जित" (यहां जिन्हें विषयगत वस्तु के रूप में संदर्भित किया गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे यहां उपर्युक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 5504 10 00 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 26 जुलाई, 2010 को सा.का.नि. सं. 632 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 26 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. 76/2010-सीमा शुल्क के अंतर्गत लागू किया गया था, को बनाए रखने के मामले की समीक्षा शुरू की थी।

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 6 अगस्त, 2015 को सा.का.नि. सं. 616 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 अगस्त, 2015 की अधिसूचना सं. 37/2015- सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा, 25 जुलाई, 2016 तक विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की गई विषयगत वस्तु पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को बनाए रखा था।

और जबकि विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में प्राधिकृत प्राधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में दिनांक 8 जुलाई, 2016 को प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष सं. 15/9/2015-डीजीएडी के अंतर्गत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

- (i) संबद्ध देशों से भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात, उसके सामान्य मूल्य से कम पर किए गए हैं;
- (ii) घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ;
- (iii) पाटनरोधी-शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

और यह सिफारिश की है विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए;

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्भूत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कॉलम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है।

सारणी

क्रस.	टैरिफ मद	वस्तु विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5504 10 00	बांस फाइबर वर्जित विसकोस स्टेपल फाइबर	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	पीटी साउथ पेसिफिक विस्कोस	पीटी साउथ पेसिफिक विस्कोस	0.103	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
2	5504 10 00	बांस फाइबर वर्जित विसकोस स्टेपल फाइबर	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	क्रमांक 1 से इतर कोई भी अन्य सम्मिश्रण		0.512	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
3	5504 10 00	बांस फाइबर वर्जित विसकोस स्टेपल फाइबर	इंडोनेशिया	पाटनरोधी शुल्क के तहत रखे गए देशों से इतर कोई देश	कोई	कोई	0.512	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर

4	5504 10 00	बांस फाइबर वर्जित विसकोस स्टेपल फाइबर	पाटनरोधी शुल्क के तहत रखे गए देशों से इतर कोई देश	इंडोनेशिया	कोई	कोई	0.512	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
5	5504 10 00	बांस फाइबर वर्जित विसकोस स्टेपल फाइबर	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	तांगशान सानयू ग्रुप जिंगडा केमिकल फाइबर कंपनी लि0	तांगशान सानयू ग्रुप हांगकांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लि0	0.180	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
6	5504 10 00	बांस फाइबर वर्जित विसकोस स्टेपल फाइबर	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	क्रमांक 5 से इतर कोई भी अन्य सम्मिश्रण		0.194	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
7	5504 10 00	बांस फाइबर वर्जित विसकोस स्टेपल फाइबर	चीन जनवादी गणराज्य	पाटनरोधी शुल्क के तहत रखे गए देशों से इतर कोई देश	कोई	कोई	0.194	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
8	5504 10 00	बांस फाइबर वर्जित विसकोस स्टेपल फाइबर	पाटनरोधी शुल्क के तहत रखे गए देशों से इतर कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	0.194	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू "विनिमय दर" वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा.सं. 354/171/2009-टीआरयू (भाग-II)]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th August, 2016

No.43/2016-Customs (ADD)

G.S.R. 777(E). –Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 15/9/2015-DGAD, dated the 22nd July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “Viscose Staple Fibre excluding Bamboo Fibre” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 5504 10 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from People’s Republic of China and Indonesia (hereinafter referred to as the subject countries) imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.76/2010-Customs, dated the 26th July, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.632(E), dated the 26th July, 2010;

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in, or exported from, the subject countries, upto and inclusive of the 25th day of July, 2016, *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.37/2015- Customs(ADD), dated the 6th August, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 616 (E), dated the 6th August, 2015;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No.15/9/2015-DGAD, dated the 8th July, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that-

- (i) subject goods have been exported to India from the subject countries below its normal value;
- (ii) domestic industry has suffered injury;
- (iii) there is a likelihood of recurrence of dumping and injury in case of cessation of anti-dumping duties.

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8) in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No	Tariff Item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	5504 10 00	‘Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre’	Indonesia	Indonesia	P T South Pacific Viscose	P T South Pacific Viscose	0.103	kilogram	US Dollar
2.	5504 10 00	‘Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre’	Indonesia	Indonesia	Any Combination other than at S.No.1		0.512	kilogram	US Dollar

3.	5504 10 00	‘Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre’	Indonesia	Any country other than attracting anti- dumping duty	Any	Any	0.512	kilogram	US Dollar
4.	5504 10 00	‘Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre’	Any country other than attracting anti-dumping duty	Indonesia	Any	Any	0.512	kilogram	US Dollar
5.	5504 10 00	‘Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre’	People’s Republic of China	People’s Republic of China	Tangshan Sanyou Group Xingda Chemical Fibre Co., Ltd	Tangshan Sanyou Group Hongkong Internati- onal Trade Co. Ltd	0.180	kilogram	US Dollar
6.	5504 10 00	‘Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre’	People’s Republic of China	People’s Republic of China	Any Combination other than at S. No. 5		0.194	kilogram	US Dollar
7.	5504 10 00	‘Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre’	People’s Republic of China	Any country other than attracting anti- dumping duty	Any	Any	0.194	kilogram	US Dollar
8.	5504 10 00	‘Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre’	Any country other than attracting anti-dumping duty	People’s Republic of China	Any	Any	0.194	kilogram	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No.354/171/2009-TRU (Pt.-II)]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.